

मध्य प्रदेश की तरज पर बहिर में भी ज़मीन की रजसि्ट्री में अब आधार अनविर्य चर्चा में क्योँ?

10 मई, 2023 को मीडिया से मली जानकारी के अनुसार बहिर में मध्य प्रदेश की तरज पर अब जमीन और मकान खरीदने-बेचने पर आधार ऑथेंटिकेशन अनविर्य होगा। इसके संबंघ में राज्य मद्य नषिध, उत्पाद एवं नबिंधन वभिग के अपर मुख्य सचवि के.के पाठक ने आदेश जारी कया है।

प्रमुख बदि

- राज्य में आधार ऑथेंटिकेशन अनविर्य होने से संपत्तियों के बेनामी ट्रांजेक्शन पर रोक लगेगी। वहीं, खरीदार-वकिरेता की सही पहचान भी आधार नंबर ऑथेंटिकेशन से आसान हो जाएगी, जिससे फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगी।
- वदिति है कि पहले फर्जी व्यक्ति को खड़ा करा ज़मीन रजसि्ट्री का जो मामला सामने आता रहता था, इस पर अब बलिकुल ही रोक लग जाएगी।
- राज्य में रजसि्ट्री ऑफिस में बनिा काम जो भीड़ होती है। आधार ऑथेंटिकेशन अनविर्य होने से इसमें भी कमी आएगी।
- वभिगीय स्तर से जारी नरिदेश के बाद अब ज़मीन रजसि्ट्री के दौरान खरीदार व वकिरेता के साथ गवाह व पहचान की जो आवश्यकता पड़ती थी, वह भी अब खत्तम हो जाएगी। आधार ऑथेंटिकेशन से ही गवाह व पहचान की प्रक्रया रजसि्ट्री ऑफिस पूरी करेगा।